न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 31/2022
निर्णय दिनांक : 21/07/2022

1. रामूलाल पुत्र स्वर्गीय श्री लादूराम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण
2. मांगीलाल
3. मूलचन्द
4. जगदीश नारायण
5. प्रभू नारायण

समस्त जाति जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

7. कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. महेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
9. रामबाबू पुत्र मूलचन्द
10. शंकर पुत्र मूलचन्द
11. गिरर्राज
12. सुनील
13. बुद्धिप्रकाश
14. पूरणमल पुत्र मांगीलाल
15. श्योजीराम पुत्र मांगीलाल

समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानपुर भाटावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रोपफार्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 464 रकबा 0.3700, खसरा नम्बर 465/1 रकबा 0.0800, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.0700, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.2900, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.6600, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.1500, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.7100, खसरा नम्बर 475/1 रकबा 0.0300, खसरा नम्बर 476/1 रकबा 0.0300, कुल किता 10 कुल रकबा 2.5400 हैक्टेयर वाके ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा भू0अ0नि0क्षे0 वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर [illegible] मोहनपुरा व खाता संख्या 61 पुराना है। उक्त आराजीयात् सम्पूर्ण का प्रार्थी [illegible] खाता संख्या 68 स्वामी व खातेदार काश्तकार है, इसी प्रकार [illegible] हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चाह स्थित है जो शामालाती [illegible] रकबा 0.03 जो प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं अंकित है। [illegible] का 1/2 हिस्सा है शान्तिपूर्ण ढंग से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 471 रकबा 0.6600 खसरा नम्बर 474 रकबा 0.7100 हैक्टेयर वाके ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा भू0अ0नि0क्षे0 वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रोपफार्मा अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 15 आये दिन कब्जा करने का प्रयास करते रहते है और प्रार्थी को भूमि पर काश्त करने और कुंए का उपयोग करने में बाधा कारित करते रहते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रोपफार्मा अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 15 द्वारा नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने के कारण प्रार्थी ने भूमि का सीमा ज्ञान करवाने की कार्यवाही की जिस अनुसरण मे दिनांक 17.11.2021 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया। जो पत्रावली में शामिल मिसल है। उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रोपफार्मा अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 15 ने मानने से साफ इन्कार कर दिया और प्रार्थी को उसकी भूमि पर काश्त करने से जबरन मना कर दिया और बलपूर्वक प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते रहते है। उन्होंने प्रार्थी को धमकी दी कि हम किसी सीमाज्ञान को नही मानते है हमारी जहॉ इच्छा होगी वहॉ पर ही कब्जा करके रहेंगे। आगे विवाद से बचने के लिए तथा आगे भी भविष्य में कोई विवाद न हो इस कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के स्थाई सीमाज्ञान कायम करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 0.6600 है0, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.7100 है0, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.0300 है0, वाके ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा भू0अ0नि0क्षे0 वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर के बाबत् अप्रार्थी संख्या 6 को निर्देश दिया जाये कि वह मुताबिक पूर्व सीमा ज्ञान जो खसरा नम्बर 471 व 472 के बाबत् किया गया को पुन' खसरा नम्बर 471, 474 व 472 का नये सिरे से सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने की कार्यवाही पुलिस इमदाद के साथ करवाया जाकर, प्रार्थी की भूमि पर सीमाचिन्ह करवा कर पत्थरगढी करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रोपफार्मा अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 15 उपस्थित एवं एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रोपफार्मा अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी रामूलाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 471 रकबा 0.66 हैक्टयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.71 हैक्टयर का एकमात्र मालिक काबिज स्वामी व खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी रामूलाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 471 रकबा 0.66 हैक्टयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.71 हैक्टयर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी रामूलाल खसरा नम्बर 471 रकबा 0.66 हैक्टयर को लक्ष्मण डूंगरी कच्ची बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर को विक्रय कर चुका है। लक्ष्मण डूंगरी कच्ची बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा खसरा नम्बर 471 रकबा 0.66 हैक्टयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.71 हैक्टयर पर सुमेर रेजिडेन्सी (ब्लाक ए) के नाम से आवसीय योजना विकसित कर दी है और कॉलोनाईजर, भूमाफियाओं द्वारा आपस में मिलीभगत कर अवैध कॉलोनी बसी दी गयी है। जिसे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.05.2022 को ध्वस्त भी कर दिया गया है। सीमाज्ञान व पत्थगढी का प्रार्थना पत्र कृषि भूमि वास्ते काश्तका द्वारा ही पेश किया जा सकता है, प्रार्थी रामूलाल खसरा नम्बर 471 रकबा 0.66 हैक्टयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.71 हैक्टयर को आवासीय योजना हेतु सोसायटी को विक्रय कर चुका है इस प्रकार प्रार्थी [illegible] उक्त वर्णित भूमि का न मालिक है और न ही काबिज काश्तकार है खसरा नम्बर 471 रकबा 0.66 हैक्टयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.71 हैक्टयर, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.33 [illegible] मे रंगमहल मैरिज गार्डन व बोहरा मैरिज गार्डन बना हुआ है। जहां पर [illegible] व्यावसायिक कार्य हो रहा है। उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग में नहीं ली जा रही है [illegible] पर ऐसी स्थिति में प्रार्थी रामूलाल का सीमाज्ञान व पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है और प्रथमदृष्टया खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 एवं 7 लगायत 15 की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी रामूलाल के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें। तहसीलदार सांगानेर ने विवादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात की मौका स्थिति रिपोर्ट प्राप्त। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा भू0अ0नि0क्षे0 वाटिका तह0 सांगानेर में स्थित खसरा नम्बरान 464, 465/1, 466, 467, 470, 471, 473, 474, 475/1, 476/1 कुल किता 10 कुल रकबा 2.5400 हैक्टेयर खातेदारी भूमि रामूलाल पुत्र लादू हिस्सा पूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा देह खातेदार के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 464 के कुछ भाग में मेरिज गार्डन बना हुआ है तथा कुल भाग खाली है। खसरा नम्बर 465/1 के कुछ भाग में दुकाने व कुल भाग खाली है। खसरा नम्बर 466 में दुकाने व वर्कशॉप है। खसरा नम्बर 467 कुल कुछ भाग में दुकाने व रहने का मकान बना हुआ है। खसरा नम्बर 470 मे मैरिज गार्डन बना हुआ है। खसरा नम्बर 471 के कुछ भाग में मैरिज गार्डन बना हुआ है तथा कुछ भाग खाली है। खसरा नम्बर 473 में बाजरे की फसल व पशुओं का बाडा है। खसरा नम्बर 474 में मैरिज गार्डन व बाजरे की फसल व कुछ भाग खाली है। खसरा नम्बर 475/1 व 476/1 खाली है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा जारी सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया की उक्त आराजी खसरा नम्बरान् 471, 474 व 472 राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी रामूलाल पुत्र लादू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा किस्म चाही 2 राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 अंकित है। अतः वाके ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा भू0अ0नि0क्षे0 वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 471, 474 व 472 की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वाके ग्राम मानपुर भाटावाला पटवार हल्का मोहनपुरा भू0अ0नि0क्षे0 वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 471, 474 व 472 का पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/09/2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर (दक्षिण) सांगानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested